न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 22 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बाराँ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ
(सायल)

बनाम

महावीर पुत्र नन्दलाल जाति माली निवासी ओढ़पुरा, जिला बाराँ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3

उपस्थिति :— 1— अभियोजन अधिकारी (सायल)

2— श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 24.09.2021

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल महावीर पुत्र नन्दलाल जाति माली निवासी ओढ़पुरा, जिला बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने व खिलाने तथा जुआ—सट्टा खेलने के लिए पैसे बांटने का आदी है। यह थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ में वर्ष 2002 से 2013 तक की अवधि में कुल 23 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। जिनमें समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सी[illegible]

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक क[illegible]क[illegible] जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न हो[illegible] 23 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चु[illegible] में आता [illegible] इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि[illegible] के तहत कार्यवाही की [illegible] इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:30:33 IST
Reason: SelfAttested

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 09.04.2014 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर साक्ष्य सरकार श्री कालूराम पुत्र बोदूराम जाति बलाई एस.एच.ओ कोतवाली, बाराँ पी. डब्ल्यू.वन. के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ में वर्ष 2002 से 2013 तक की अवधि में कुल 23 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। जिनमें समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नोटिस में जिन मुकदमों का विवरण दिया गया है, वह अपूर्ण है। उनकी कोई प्रति एवं फैसला न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। न कथित प्रकरणों के तथ्यों का विवरण दिया गया है। अप्रार्थी के विरूद्व कोई शिकायत नहीं है। नियमों के अनुसार 6 माह की अवधि में तीन प्रकरण उक्त अधिनियम में वर्णित प्रकृति के तय होना जरूरी है। 1884 सी.आर.एल.आर.राज., 206, 1996–97 सी.आर.एल.आर 216 एवं 1995 सी.आर.एल.आर राज. 492 के अनुसार अप्रार्थी के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अप्रार्थी के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अप्रार्थी के विरूद्व नियम 3,1 के तहत सक्षम अधिकारीगण को प्रतिष्ठित नागरिकों को सूचना नहीं दी गई है और न हीं किसी सूचना को सत्यापित कराया गया है। प्रस्तुत इस्तगासे का अधिकांश हिस्सा रिक्त है। उससे धारा 2 बी. के तहत अप्रार्थी को गुण्डा नहीं माना जा सकता है और न हीं कोई कार्यवाही की जा सकती है। अतः उक्त परिस्थितियों में विधि तथा राज. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के प्रकाश में अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही निरस्त की जावें।

मेरे द्वारा अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना वर्ष 2002 से 2013 तक की अवधि में कुल 23 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुये है। जिनमें समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि महावीर पुत्र नन्दलाल जाति माली निवासी ओढपुरा, जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल कुल 23 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:30:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः गैरसायल महावीर पुत्र नन्दलाल जाति माली निवासी ओढ़पुरा, जिला बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली जिला बाराँ से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल महावीर पुत्र नन्दलाल जाति माली निवासी ओढ़पुरा, जिला बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, मांगरोल जिला बारॉ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 10.10.2021 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल, जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल, जिला बारॉ के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:30:33 IST
Reason: SelfAttested